**कोषागारात रोख देय अनुदान**

**अंतिम सुधारीत अनुदान २०१०-२०११**
महाजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदाने.
**लेखाशिर्ष (२२१५ २०८२)**

# महाराष्ट्र शासन

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
शासन निर्णय क्र. देप्रोअ-१३१०/प्र.क्र. ४०/पापु-०८
मंत्रालय, मुंबई -३२,
**दिनांक ३१ मार्च, २०११**

वाचा:- १) शासन निर्णय, पापुवस्ववि.क्र.देप्रोअ-१३१०/ प्र.क्र.१०४/ पापु-०७, दि. २८ एप्रिल,२०१०
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि. १ सप्टेंबर,२०१०
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २३ फब्रुवारी,२०११
४) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१० मार्च,२०१०

**प्रस्तावना:-**

महाजल (भारत निर्माण कार्यक्रम) कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये रु.२२६२.६१ लक्ष इतकी सुधारीत तरतुद मंजूर होती. संदर्भ क्र.१ ते ४ येथील शासन निर्णयान्वये, सदर निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे.

दि.३१ मार्च,२०११ रोजी जिल्हा परिषदांनी प्रत्यक्ष आहरीत केलेले अनुदान विचारात घेऊन, आर्थिक वर्ष २०१०-११ साठी लेखाशीर्ष २२१५ २०८२ खाली वितरीत केलेल्या अंतिम सुधारित अनुदानाचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

**शासन निर्णय:-**

आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी लेखाशीर्ष २२१५ २०८२ खाली संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करून दिलेल्या रु. २२६२.६१ लक्ष सुधारीत तरतुदीतून सोबतच्या प्रपत्रातील स्तंभ ४ नुसार **एकूण रु. २२६२.६१ लक्ष (रु. बावीस कोटी बासष्ट लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतके अंतिम सुधारित अनुदान संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे.**

२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. वाय- २, "२२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता-१०२- ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (०२) (१६) नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना- देखभाल व दुरुस्ती यासाठी अनुदान (२२१५ २०८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्याखालील मंजूर तरतुदीतून भागवावा.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या WWW.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०११०४१३१५४६२५००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

सही/-

**( गौ. सं. पवार )**

**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

प्रति,

१) विभागीय आयुक्त, सर्व
२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
५) मुख्य अभियंता, भारत निर्माण कक्ष, बेलापूर, नवी मुंबई
६) विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) (उपायुक्त विकास)
७) अधिक्षक अभियंता, विभागीय भारत निर्माण कक्ष (सर्व)
८) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व)
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ,मुंबई (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व
१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई.
१३) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर
१४)वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई
१५)नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पापु-०४, पापु-५ व पापु-२०
१७)निवडनस्ती, पापु-०८

## प्रपत्र

शासन निर्णय क्र. द्रप्रोअ-१३१०/प्र.क्र.४०/पापु-०८, दिनांक ३१ मार्च, २०११ चे सहपत्र,
लेखाशीर्ष २२१५ २०८२ ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आर्थिक वर्ष
२०१०- ११ मध्ये मंजूर अंतिम सुधारित अनुदान (रु.लाखात)

| अनु. क्र. | जिल्हा | आर्थिक वर्ष २०१०-११ मध्ये उपलब्ध करून दिलेला एकूण निधी | जिल्हा परिषदांना मंजूर करण्यात येत असलेले अंतिम सुधारित अनुदान |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | ठाणे | ८३.२८ | ८३.२८ |
| २ | रायगड | ६८.७२ | ६८.७२ |
| ३ | रत्नागिरी | ५६.२८ | ५६.२८ |
| ४ | सिंधुदुर्ग | ३३.०२ | ३३.०२ |
| ५ | नाशिक | १३१.२० | १३१.२० |
| ६ | धुळे | ५२.०७ | ५२.०७ |
| ७ | नंदुरबार | ३९.१४ | ३९.१४ |
| ८ | जळगाव | १०५.९१ | १०५.९१ |
| ९ | अहमदनगर | १७२.०३ | १७२.०३ |
| १० | पुणे | १२१.५१ | १२१.५१ |
| ११ | सातारा | ९२.६४ | ९२.६४ |
| १२ | सांगली | ११८.२१ | ११८.२१ |
| १३ | सोलापूर | ११७.१७ | ११७.१७ |
| १४ | कोल्हापूर | ५२.३७ | ५२.३७ |
| १५ | औरंगाबाद | ७०.९७ | ७०.९७ |
| १६ | जालना | ४३.१५ | ४३.१५ |
| १७ | परभणी | ४३.५१ | ४३.५१ |
| १८ | हिंगोली | ४०.४५ | ४०.४५ |
| १९ | बीड | ६९.७८ | ६९.७८ |
| २० | नांदेड | ८२.४७ | ८२.४७ |
| २१ | उस्मानाबाद | ५३.९९ | ५३.९९ |
| २२ | लातूर | ३७.४९ | ३७.४९ |
| २३ | बुलढाणा | ६५.३६ | ६५.३६ |
| २४ | अकोला | ५८.७९ | ५८.७९ |
| २५ | वाशिम | ३३.५३ | ३३.५३ |
| २६ | अमरावती | ८५.२५ | ८५.२५ |
| २७ | यवतमाळ | ७३.९४ | ७३.९४ |
| २८ | वर्धा | ४०.९३ | ४०.९३ |
| २९ | नागपूर | ५०.३१ | ५०.३१ |
| ३० | भंडारा | ३५.४८ | ३५.४८ |
| ३१ | गोंदिया | ५०.७४ | ५०.७४ |
| ३२ | चंद्रपूर | ५२.२३ | ५२.२३ |
| ३३ | गडचिरोली | ३०.७१ | ३०.७१ |
| | एकूण | २२६२.६१ | २२६२.६१ |

**(रुपये बावीस कोटी बासष्ट लक्ष एकसष्ट हजार फक्त )**

**सही/-**
**( गौ. सं. पवार )**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**